राजस्थान सरकार,

उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 3/सा.प्र./रा.आ./2016/742 दिनांकः 21.11.2016

विज्ञप्ति

विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित) में निम्नांकित पुरुष एवं महिला सदस्य के पद रिक्त है :–

इन पदों पर पूर्णकालिक आधार पर की जानी वाली नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु भी बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय अथवा अन्य किसी प्रकार के व्यय का पुनर्भरण नही किया जावेगा। नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यताएँ धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा 10(1)(ख) के अनुसार) जो :–

1. आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30.12.2016 को 35 वर्ष की उम्र से कम उम्र के ना हो,
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की ड़िग्री रखता/रखती हैं और
3. योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति के व्यक्ति हों और अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा–कर्म, उद्योग, लोक मामले, या प्रशासन से संबंधित समस्याओं को निपटानें में पर्याप्त ज्ञान एवं कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखते हों।

कं. सं0	जिला मंच का नाम जहॉ पद रिक्त है ।	रिक्त पद का नाम व संख्या
1	2	3
1	जिला मंच, भरतपुर	एक पद पुरूष सदस्य
2	जिला मंच, भीलवाडा	एक पद महिला सदस्य
3	जिला मंच, बून्दी	एक पद पुरूष सदस्य व एक पद महिला सदस्य
4	जिला मंच, हनुमानगढ	एक पद महिला सदस्य
5	जिला मंच, जयपुर द्वितीय	एक पद महिला सदस्य
6	जिला मंच, झालावाड	एक पद महिला सदस्य
7	जिला मंच, जोधपुर प्रथम	एक पद पुरूष सदस्य
8	जिला मंच, करौली	एक पद पुरूष सदस्य व एक पद महिला सदस्य
9	जिला मंच, कोटा	एक पद महिला सदस्य
10	जिला मंच, प्रतापगढ	एक पद महिला सदस्य
11	जिला मंच, राजसमन्द	एक पद पुरूष सदस्य व एक पद महिला सदस्य
12	जिला मंच, सिरोही	एक पद पुरूष सदस्य
13	जिला मंच, उदयपुर	एक पद पुरूष सदस्य व एक पद महिला सदस्य
	पदों की संख्या :– 1. पुरूष सदस्य 2. महिला सदस्य कुल पद	 07 पद 10 पद ——— 17 पद

ऐसे व्यक्ति सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य होंगे यदि वहः–

(क) किसी अपराध के लिये, जो राज्य सरकार के अभिमत में नैतिक अधमता में शामिल होता है, में दोष सिद्ध एवं कारावास के लिये दण्ड़ादेश दिया गया है, या

निरन्तर . 2

(ख) अघोषित दिवालिया है, या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) सरकार या किसी निगमित निकाय/सरकार द्वारा स्वीकृत एवं नियंत्रित की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है, या

(ङ) राज्य सरकार के अभिमत में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता/रखती है, जिससे उसके द्वारा सदस्य के रुप में कार्य निर्वहन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या

(च) ऐसी अन्य अयोग्यताओं को रखता/रखती हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में अभिभाषक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या अन्य स्व पेशा/व्यवसाय के रुप में कार्यरत हैं, वे यदि उक्त पद के लिये आवेदन करते हैं, तो सदस्य के रुप में चयन होने की स्थिति में उन्हें नियुक्ति अवधि के दौरान उक्त पेशे/व्यवसाय की सनद (प्रमाण पत्र) निलंबित करानी होगी और जिला मंच में सदस्य के रुप में कार्य करने की अवधि तक उक्त पेशा/व्यवसाय का कार्य नही करेंगे।

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में किया जा सकेगा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में सदस्य हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ना ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान एवं संशोधित राज्य सरकार के नियमों के तहत मानदेय देय होगा।

यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी।

इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित विवरण सहित बायोडेटा मय फोटो तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक **30.12.2016** के कार्यालय समय समाप्ति तक **"रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर"** को लिफाफे के ऊपर बांयी ओर **"जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिले का नाम अंकित करें) में सदस्य की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुये डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें:–

फोटो

1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं।)
2. पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (हिन्दी में)
3. पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (अंग्रेजी–केपिटल लेटर्स में)
4. जन्म तिथि (कृपया मैट्रिक/सैकेन्ड्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
5. निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।
6. टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई–मेल आई.डी. यदि कोई हो।
7. सैकेन्ड्री एवं इससे उच्चतर उत्तीर्ण परीक्षाओं के विवरण मय वर्ष, श्रेणी, अंको का प्रतिशत और
8. बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम (कृपया प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
9. उम्मीदवार जिस भाषा को लिखने व पढ़ने में प्रवीण हो, उसका नाम।

निरन्तर ..3

10. क्या उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है?

11. क्या उम्मीदवार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10(1)(ख) में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी भी अयोग्यता के अंतर्गत आते हैं? यदि हां तो विवरण दें।

12. क्या उम्मीदवार को कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये अभियोजन किया गया है, या गिरफ्तार किया गया हैं, या प्रतिबंध पर छोड़ा गया है या दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।

13. क्या उम्मीदवार को किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।

14. क्या उम्मीदवार को किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है या प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।

15. क्या आप किसी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में पूर्व में सदस्य रहे हैं? यदि हॉ, तो उसका पूर्ण विवरण एवं अवधि का उल्लेख करें।

16. अन्य कोई सूचना जो उम्मीदवार देना चाहें।

जो इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा में हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले, बिना दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, बिना फोटोग्राफ, बिना हस्ताक्षर एवं अपूर्ण आवेदन पत्र, बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

(सजेश चन्द्र गुप्ता) 9/11/2016
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर